# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 965/2025
ऑनलाईन नम्बर 2025/1177

निर्णय दिनांकः 12.12.2025

छैल वीरेंदर सिंह पुत्र महावीरसिंह जाति राजपूत निवासी झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थी—

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गुसांईसर तहसील व जिला बीकानेर।

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—
1. श्री बाबूलाल दर्जी अभिभाषक प्रार्थी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर सादर प्रस्तुत है। प्रार्थी ग्राम झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर का स्थायी निवासी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 1285 /387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर रोही मौजा झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है । जिस पर प्रार्थी का ही कब्जा, काश्त उपयोग व उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1285/ 387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर भूमि का हल्का पटवारी द्वारा नक्शा अक्स तो तरमीम कर दिया, परन्तु मौके पर सीमा नही बतायी गई। जिससे प्रार्थी को अपने खेत को काश्त में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ द्वारा पुलिस थाना सैरूणा को आदेश क्रमांक 3337—3341 दिनांक 19.08.2025 को दिया गया। जिस पर थाना पुलिस सैरूणा द्वारा खेत खसरा नम्बर 1287/387 व 1285/387 का सीमाज्ञान किया गया, उक्त फर्द मौका रिपोर्ट के उपरोक्त दोनो खसरान की भूमि मौका पर एकल है तथा दोनो ही अनुसार खसरान के मध्य भौतिक सीमा नही होना पाया गया तथा पुलिस द्वारा मौका पर सीमा चिन्ह बताये गये । परन्तु मौका पर पत्थरगढ़ी नही करवायी गई। तब प्रार्थी ने दिनांक 22.11.2025 को अप्रार्थी संख्या 1 से अपने खेत खसरा नम्बर 1285/387 की पैमाईश व सीमाज्ञान कर मौका पर पट्टी — बाड़ करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 1 ने इन्कार कर दिया । प्रार्थी अपने खेत खसरा नम्बर 1285/ 387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर की मौका पर नक्शा शीट के मुताबिक मेट्रीक जरीब चलाकर सीमांज्ञान करवाकर मुताबिक रकबा पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी को सीमांज्ञान कर पत्थरगढ़ी करवाने से दिनांक 22.11.2025 को इन्कार कर दिया । अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ राजस्व रिकार्ड का संधारणकर्ता होने एवं तहसीलदार के

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

आदेशानुसार ही पट्वारी हल्का द्वारा वर्णित खेत की पेमाईश कर फर्द मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर मौका पर नक्शा शीट के मुताबिक मेट्रीक जरीब चलाकर सीमांज्ञान करवाया जाना आवश्यक हैं। इसलिए अप्रार्थी को आवश्यक पक्षकार होने के कारण पक्षकार संयोजित किया गया हैं । प्रार्थी ने अपने खेत खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर रोही मौजा झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर पर अप्रार्थी संख्या 1 के यहां रहन रखकर ऋण ले रखा है। इसलिए प्रार्थना पत्र बैंक शाखा को पक्षकार संयोजित किया गया है; अप्रार्थी संख्या 2 से अलग से कोई अनुतोष नही चाहा गया है । खेत खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर रोही मौजा झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित होने से यह प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढ़ी न्यायालय श्रीमान्जी के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है, जो पूर्ण न्यायशुल्क पर पेश किया जा रहा हैं । अप्रार्थी संख्या 1 ने दिनांक 22.11.2025 को सीमांज्ञान कर पत्थरगढ़ी करने से इन्कार कर दिया है, इसलिए इन्कारी की दिनांक से उक्त प्रार्थना पत्र वादहेतु व वादगत खेत प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी का होने से वादाधार प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी के कब्जे काश्त की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर रोही मौजा झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ़ की पेमाईश करवायी जाकर पत्थरगढ़ी करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिया जावे व आदेश की पालना अप्रार्थी से करवायी जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी में ली जाकर बहस का निवेदन किया गया। स्टेट को प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्रावली पेशी में लेने पर किसी प्रकार की आपति नहीं होने के कारण बहस प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराया जाकर अप्रार्थी संख्या 2 शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा गुसांईसर तहसील व जिला बीकानेर का रहन यथावत रखतें हुए पुलिस जाब्ता की उपस्थिति में पैमाईश करवायी जाकर पत्थरगढ़ी किये जाने का निवेदन किया गया।

स्टेट की ओर से पैरोकारराज ने अपनी बहस करतें हुए कथन किया गया कि उक्त खसरों का सीमाज्ञान दिनांक 21.11.2025 को किया गया। मुताबिक फर्द मौका खसरा नंबर 1287/387 व 1285/387 के मध्य भौतिक सीमा मौके पर नहीं है। पुलिस थाना शेरूणा प्रतिनिधि को मुताबिक नक्शा सीट पैमाना व जरीब के मौके पर सीमा चिन्ह बताये गये। राजस्व हित को संरक्षित रखतें हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो स्टेट को किसी प्रकार की आपति नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested

हमनें उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

खेत खसरा नम्बर 1285/387 तादादी 3.5400 हैक्टेयर वाकेरोही झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण की पृथक से दर्ज है। ख़सरा नंबर 1285/387 के सीमाचिन्ह जो नक्शे में मौजूद है उनके आधार पर अथवा रिकार्ड के अनुसार प्रार्थीगण की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी कर सीमा चिन्ह कायम किये जाने के हेतु तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को 2000/—रू. की कोस्ट पर मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि व प्रार्थी की उपस्थिति में मौका मजिस्ट्रेट व पुलिस जाब्ता की मौजूदगी में खेत खसरा नंबर 1285/387 तादादी 3.54 हैक्टेयर वाकेरोही झंझेऊ तहसील श्रीडूंगरगढ का सीमाज्ञान कर मौके पर पत्थरगढी करवाया जाना सुनिश्चित करेगे। बिना विधिक प्रक्रिया के मौके पर किसी को बेदखल न किया जावें। फीस कमिश्नर प्रार्थी द्वारा वहन की जावेगी। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ नियमानुसार राशि राजकोष में प्रार्थीगण से जमा कर भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना सुनिश्चित करें। रहन यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 12.12.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**आदेश सरे इजलास सुनाया गया।**

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Sharma
Date: 2026.01.21 10:36:27 IST
Reason: SelfAttested